उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–549/ix-1/23(2014)/2017
देहरादून: दिनांक 25 जुलाई,2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–662/ix–1/39/2014 दिनांक 09–12–2014 को अवक्रमित करते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–215 की उपधारा (3) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति को निम्नानुसार गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3–	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4–	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5–	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6–	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्	सदस्य
7–	प्रोजेक्ट ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य
8–	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के परिवहन एसोसियेशन अथवा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवा संस्था के प्रतिनिधि (अधिकतम 03)	सदस्य
9–	सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य सचिव

2– यह समिति जनपदीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्य करेगी:–

(1) मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन।

(2) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन।

(3) मुख्य सचिव, उत्तराखड शासन की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति के निर्देशों का अनुपालन।

(4) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित लीड एजेन्सी के निर्देशों का अनुपालन।

3– समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाएगी तथा समिति अपनी बैठकों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।

4– समिति द्वारा अपनी बैठकों में विषय के विशेषज्ञ के रूप में किसी अधिकारी/व्यक्ति को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है।

5– समिति द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक आख्या परिवहन आयुक्त कार्यालय में गठित लीड एजेन्सी को प्रेषित की जाएगी।

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या–549/ix-1/23(2014)/2017तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन/सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्य।

4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

6– अपर परिवहन आयुक्त/समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, रूड़की को राजपत्र के आगामी अंक में 50 प्रतियां प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।